

न्यायालय – अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय, सिवान

Excise Act/2347/2022

दिनांक:— 29.11.2022

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लेखित जांच रिपोर्ट/चिकित्सीय रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतत् द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा – 37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने दिनांक 29.11.2022 को अल्कोहल का उपभोग किया था। अभियुक्त UPESH KUMAR की चिकित्सीय परीक्षा/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढकर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया है। अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है। उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मैं प्रथम दृष्टया संतुष्ट हूँ कि उसके विरुद्ध आरोप सुआधारित है। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लिया गया।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा – 37 के अधीन निर्धारित राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के चुक होने पर 30 दिनों के साधारण कारावास भोगने का दण्डादेश दिया जाता है।

ह0/—

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय
सिवान

दिनांक:— 29.11.2022